अनुलग्नक (5)

IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to sri लहरु प्रधान

S/O, W/O D/O लक्ष्मी प्रधान Village सिमडेगा खरवाटोली

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri मती मसीह धनी बेक S/O, W/O D/O दिलीप मिंज

Village गोतरा बेरीटोली P.S सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 19.05.2018

in Rev, C.N.T. case No 72 of 2017-18

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana No	Khata No.	plot No	Area(in acres)	Value for Sale
सिमडेगा	सिमडेगा / 116	117	1903	8.49 डी० में से 0.10 डी०	मो० 450000=00 (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र)

चौहद्दी

उ० - इसी प्लॉट का अंश

द० - इसी प्लॉट का अंश

पू० - सुरेश कुल्लू का मकान घेरा

प० - इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10' का कच्चा रास्ता।

Sd....... ह०/-

L.R.D.C.Simdega

Memo No. 511 (ii) /Rev. Dated (Simdega the 19.05.2018

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri लहरु प्रधान पिता लक्ष्मी प्रधान

Village सिमडेगा खरवाटोली P.S सिमडेगा District Simdega

For information and needful

कार्यालय उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा

उप समाहर्ता
L.R.D.C. Simdega
भूमि सुधार सिमडेगा

लहरु प्रधान
28/2/19

28/2/19

अनुलग्नक (6)

न्यायालय भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता, सिमडेगा
अनुमति वाद सं0 72/17–18

एक रुपया ONE RUPEE INDIA भारत

श्री लहरू प्रधान ....आवेदक
बनाम
झारखण्ड सरकार.......................विपक्षी

19/5/18

आदेश

आवेदक श्री लहरू प्रधान, पिता लक्ष्मी प्रधान, ग्राम–सिमडेगा खैरवाटोली थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरणः–

मौजा	थाना	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
सिमडेगा	सिमडेगा	116	117	1903	8.48 ए0 में से 0.10 ए0

कुल रकबा (शब्दों में) दस डिसमील मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन को मकान बनाने एवं अन्य दीगर खर्च हेतु प्रस्तावित केता–श्रीमती मसीहधनी बेक, पति श्री दिलीप मिंज, ग्राम गोतरा बेरी टोली, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा (जाति उराँव) को बिकी कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 156 दिनांक 13.12.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत रघुबर गोंड. वल्द करमु गोंड. के नाम दर्ज हैं। वर्तमान जमाबंदीदार खाता संख्या 117 रघुबर गोंड. वल्द करमु गोंड. हैं। मालगुजारी पंजी II रैयत के वशंज के द्वारा दिया जाता है। बिकेता एवं केता दोनों अनुसूचित जनजाति गोंड. एवं उराँव जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि की बिकी के पश्चात आवेदक के पास 2.08 एकड़ भूमि शेष बचती है।

भूमि स्वामित्त्व से संबंधित कागजात में खतियान एवं लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न है। केत्ता की ओर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 जे0एच0आर0सी0/2017/1089847 दिनांक 02.08.2017 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मैं मौजा–सिमडेगा थाना न0–116 थाना सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं0–117, प्लॉट संख्या–1903, रकबा 8.48 ए0 में से 0.10 एकड. जमीन को मकान बनाने एवं अन्य दीगर खर्च के लिये केता श्रीमती मसीहधनी बेक, पति श्री दिलीप मिंज, ग्राम गोतरा बेरी टोली, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा को मो0 4,50,000.00 रू0 (शब्दों में) चार लाख पचास हजार रूपये मात्र में अपनी राजी –खुशी से बिकी कर रहा हूँ। यह मेरी खतियानी भूमि है। उक्त जमीन बिकी करने के बाद मेरे पास 2.08 एकड़ भूमि शेष बचती है। बिकेत्ता एवं केत्ता दोनों अनुसूचित जनजाति गोंड. एवं उराँव जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

कार्यालय अंचल अधिकारी ★ सिमडेगा ★

लहरू प्रधान
28/2/19

लिपिक
29/5/18

लिपिक
29.5.18

अनुलग्नक ⑥

कार्यालय, अंचल अधिकारी, सिमडेगा

पत्रांक 156

दिनांक 13.12.17

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा / भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिमडेगा :

विषय :- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

प्रसंग :- अनुमति वाद संख्या 72 सन् 17/18

1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र

१) क - आवेदक (हस्तान्तरण कर्ता) का नाम पिता का नाम/पूरा पता : लहरु प्रधान पिता लक्ष्मी प्रधान ग्राम - सिमडेगा खैरनटोली, थाना - सिमडेगा

ख - जाति : - गोंड़

२) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध : - रघुवर गोंड़ वल्द कामु गोंड़

३) जमीनदारी विलियन के पश्चात उक्त जमीन की जमाबन्दी संख्या तथा जमाबन्दी दार का नाम : - तदैव।

४) वर्त्तमान जमाबन्दी संख्या / जमाबन्दी दार का नाम : - तदैव।

५) वर्त्तमान जमाबन्दीदार को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ : - खतियानी।

६) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम : - खतियानी रैयत के वंशज।

७) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध : - वंशज।

८) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार है तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा : - 1/3 हिस्से का लहरु हिस्से में 1/3 हिस्सा।

वंशावली

रघुवर गोंड़

जगतपाल, भगत पाल, रंगपाल गोंड़

लक्ष्मी प्रधान, परमेश्वर प्रधान, विष्णु प्रधान

लहरु प्रधान (आवेदक)

९) क्या आवेदक बड़े भू धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरूद्ध लैण्ड शिलिंग का केश है : - नहीं।

१०) क- क्या उक्त जमीन भूदान की है : - नहीं।

ख- लैण्ड सिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित हैं : - नहीं।

११) जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य : - मकान बनाने एवं बच्चा शिक्षा हेतु

१२) जमीन का किस्म एवं ब्योरा :

ग्राम/थाना सं०-	खाता सं०-	प्लॉट सं० -	रकबा -	किस्म
सिमडेगा	117	1903	0.10 ए०	आवासीय

अर्थात् 8.45 डि०

१३) जमीन का मूल्य जो अगल-बगल की उक्त किस्म जमीन बिक्री के अनुसार हो : - 45000/- रु० प्रति डी.

१४) जमीन का वर्तमान मूल्य : - 4,50,000/- रु०

१५) विक्रेता के पास की कुल उपलब्ध भूमि : - 2.18 ए०

१६) बिक्री के बाद शेष भूमि : - 2.08 ए०

अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा

राजस्व उप निरीक्षक ...5/18

अंचल अधिकारी 29.5.18

लहरु प्रधान
28/2/19

28/9/2020

लहरू प्रधान
28/9/2020

46 (1) Reserve

23 I.A, with the
Permission by L.R.D.C
Misc. case No. 72/2017-18
order dated
19-5-18

7.10.20

विक्रय पत्र
=======

§1§ लेख्यकारी:- लहरू प्रधान पिता स्व0 लक्ष्मी प्रधान जाति गोंड़, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- सिमडेगा खरवाटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा, झारखण्ड ।

.. .. .. बिक्रेता ।

आधार कार्ड संख्या- 2867 5653 0048

पेन कार्ड संख्या- सी ओ सी पी पी 1751 बी

शपथ-पत्र संख्या:- 109/2020

अंचल द्वारा प्रेषित प्रतिबंधित की सूची में नहीं पाया गया, खाता ...

पहचान - ... कुमार नाग
पिता - ... नाग
ग्राम - ...
थाना + जिला - सिमडेगा
28/9/2020

§2§ लेख्यधारिणी:- मसीह धनी बेक पति श्री दिलीप मिंज जाति-उराँव, पेशा-गृहिणी, निवास ग्राम- गोतरा बेरीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा, झारखण्ड ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

आधार कार्ड संख्या- 5993 3154 3842

पेन कार्ड संख्या- सी एक्स एन पी बी 2818 पी

शपथ-पत्र संख्या:- 110 / 2020

§3§ लेख्यप्रकार:- क्रय पत्र केवाला बेला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा दिन के वास्ते बिक्री होता है ।

§4§ मूल्य:- मो बलिग छ: लाख बीस हजार रूपया अंके 6,20,000/- रूपया होता है ।

§5§ सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- सिमडेगा खरवाटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 116, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं0 117 §एक सौ सतरह§ प्लॉट नं0 1903 §उन्नीस सौ तीन§ रकबा 8.49 एकड़ में से 0.10 एकड़ §दस डिसमिल§ जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश,

पूरब:- सुरेश कुल्लू का मकान घेरा,

पश्चिम:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10' का कच्चा रास्ता,

मालगुजारी 02 पैसा §दो पैसा§ अलावे सेस सालाना ।

वर्णित बिक्रीत जमीन शहरी क्षेत्र के चार भागों में से आवासीय है जिसपर मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा नगर परिषद, सिमडेगा के वार्ड नं0 18 में अवस्थित है जिसका हॉल्डिंग नं0 018000047700एम 0 है ।

पुनतम ... मसहिदा ... से मिलान ... किया गया है ... H. Rao ... K.P. ... 2020

लहदु प्रधान
28/9/2020

जौनिमा मिंज
पिता - स्व. जोर्ज मिंज
ग्राम - सिपुर टोली
थाना + जिला - सिमडेगा
28/9/2020

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में बिक्रीत जमीन को किसी अन्य व्यक्ति के पास बिक्री नहीं किया गया है ।

§1§ चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के वास्ते रूपयों की आवश्यकता पड़ी और इस समय बिना जमीन बेचे रूपया मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन को खरीदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा वो बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रस्तावित भूमि मेरी खतियानी रैयती जमीन है । उक्त जमीन के खतियानी रैयत रघुवर गोंड़ वल्द करमु गोंड़ के नाम से दर्ज है तथा मालगुजारी की रसीद स्व० रघुवर गोंड़ के नाम से कटता है जो पंजी II के भौल्युम 1, पेज नं0 116 में दर्ज है । खतियानी रैयत रघुवर गोंड़ मेरे परदादा थे जिनकी मृत्यु होने के बाद उपरोक्त जमीन का भैयादी बँटवारा हुआ तथा मुझे अपना हिस्सा बँटवारे में मिली है जिसपर भैयादों वो स्थानापन्नों की ओर से कोई आपत्ति नहीं है । उपरोक्त बिक्रीत जमीन का विगत सर्वे में कायमी नाप था तथा लगान पाने वाला का नाम टंकित श्री नीवास हुकुम सिंह देव दर्ज है ।

Online खतियान एवं पंजी-II से मिलान जाँच किया।
Nitesh Singh
07/10/2020

लेखक प्रयाग
28/9/2020

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 72/2017-18 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 19.05.2018 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो सं0 511§1'1§ दिनांक 19.05.2018 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेखयधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर मकान, शहन, कुँआ, बारी इत्यादि बनाकर अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेखय से वो अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हदबन्दी, कैसरे हिन्द, खास महल, भू-दान, सैरात, लीज, आम गैर मजरूआ से संबंधित नहीं है ।

लाहेर प्रधान
28/9/2020

मैं लेखकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

लहरु प्रधान
28/9/2020

लहरु प्रधान
28/9/2020

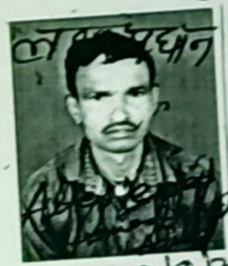

प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारी ने अपने बायें हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान मेरे सामने किया। By

Pramod Dungdung
Adv 28/9/2020

मैं लेखधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

मसीह धनी बेक
28/9/2020

प्रमाणित किया जाता है कि लेखधारिणी ने अपने बायें हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान मेरे सामने दी। By

Pramod Dungdung
Adv
28/9/2020

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Pramod Dungdung Adv. 28/9/2020

(प्रारूपकर्त्ता)
तारीखः-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में मेरे द्वारा टंकित हैं जो खण्डन रहित है ।

टंकक
मो० महबूब
28/9/2020
मो० महबूब
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

अनुलग्नक :-

1. विक्रेता का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का छायाप्रति,
2. क्रेतिका का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का छायाप्रति,
3. पहचानकर्त्ता का आधार कार्ड का छायाप्रति,
4. गवाह का आधार कार्ड का छायाप्रति,
5. परमिशन शेड्युल का मूल प्रति,
6. अंचल रिपोर्ट एवं आदेश की सच्ची प्रतिलिपि,
7. खतियान का छायाप्रति,
8. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
9. भिलेज मैप का छायाप्रति,
10. ट्रेस मैप का मूल प्रति,
11. फॉर्म नं० 1 का मूल प्रति,
12. होल्डिंग टैक्स रसीद का छायाप्रति,

सहेद-प्रियात
28/9/2020